यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) - 2 राज्य कर, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) - 2 राज्य कर, देहरादून के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री अरविंद कुमार उपाध्याय एवं श्री चन्द्र मोहन सिंह रावत (तदर्थ), सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 22.09.2020 से 28.09.2020 तक श्री शशिकांत पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आनंद पाण्डेय, लेखापरीक्षक, श्री डी.के. श्रीवास्तव एवं बी.बी.एम.त्रिपाठी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 24.07.2019 से 01.08.2019 तक श्री के.एल. भट्ट, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी। जिसमे राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी एवं व्यय हेतु माह --- से --- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक तथा व्यय हेतु माह --- से --- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः -1.** घंटाघर से पलटन बाजार होते हुये लक्खीबाग पुलिस चैकि तक की समस्त पश्चिमी क्षेत्र (दायी ओर का भाग) जिसके अंतर्गत पल्टन बाजार का पश्चिमी भाग, धामावाला का पश्चिमी भाग, पीपलमण्डी, बाबूगंज, दर्शनीगेट का पश्चिमी भाग, हकीकतराय नगर, मोती बाजार, अखाडाबाजार आदि।

2. घंटाघर से बिन्दालपुल के पास तिलक रोड तक चकराता रोड का समस्त दक्षिणी भाग (बायी ओर का भाग) जिसके अंतर्गत लूनिया मौहल्ला, अंसारी मार्ग, मालियान, डांडीपुर मौहल्ला आनंद चैक आदि।

3. बिन्दाल पुल के पास तिलक रोड से भण्डारी चैक एवं झण्डा चैक होते हुये सहारनपुर चैक तक झण्डा बाजार का पूर्वा भाग।

4. सहारनपुर चैक से सहारनुपर रोड पर लालपुल चैराहे तक का समस्त बायीं ओर का भाग जिसके अंतर्गत आढ़त बाजार की दोनो साईड (लक्खीबाग पुलिस चैकी तक) लक्खीबाग, लक्कड़ मण्डी, गउघाट, भण्डारी बाग, राठीमण्डी, पटेलनगर का पूर्वी भाग आदि।

5. लालपुल चैक का इण्ड़ एरिया होते हुये कारगी रोड पर पथरी बाग चैक होते हुए बाईपास रोड पर कारगी चैक तक का समस्त बायां भाग जिसके अंतर्गत इण्ड0 एरिया का बायां भाग पथरी बाग का बायां भाग आदर्शनगर का बायां भाग आदि।

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	**अर्जित राजस्व (₹ लाख मे)**
2017-18	5835.25
2018-19	9951.2
2019-20	12299.26

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(₹ लाख में)

वर्ष	**Plan**		**Non plan**		**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
शून्य						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+)₹	बचत (-)₹
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई "A" श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव, वित्त **>** आयुक्त कर, वाणिज्य कर**>** ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर**>** डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर**>** सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर**>** वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) - 2 राज्य कर, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) - 2 राज्य कर, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्वः ------- विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्ययः ------- (व्यय) को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) **योजना का चयन :-** कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व का लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

प्रस्तर- 1 : आईटीसी का रिवर्स न किया जाना ₹6.16 लाख तथा अर्थदण्ड का अनारोपण ₹18.48 लाख।

भाग-II (ब)

प्रस्तर - 1 : ` 5.32 लाख के कर के अनारोपण के कारण अधिक रिफ़ंड स्वीकृत किया जाना।

प्रस्तर - 2 : कर का अनारोपण ` 8.02 लाख।

प्रस्तर - 3 : कर न्यूनारोपण ` 0.45 लाख।

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

<u>भाग 2 'अ'</u>

प्रस्तर- 1 : आईटीसी का रिवर्स न किया जाना ₹6.16 लाख तथा अर्थदण्ड का अनारोपण ₹18.48 लाख।

उत्तराखंड शासन वित्त अनुभाग-8 अधिसूचना सं 478/2012/10(120)/XXVII(8)/2012 दिनांक 30 मई 2012 के अनुसार "समस्त प्रजाति के वृक्ष और सभी प्रकार की इमारती लकड़ी तथा काष्ठ चाहे वह उगाई, काटी और चीरी गयी हो किन्तु इसमें उनके उत्पाद और जलौनी लकड़ी सम्मिलत नहीं है" को दिनांक 30 मई 2012 से उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की अनुसूची III में शामिल किया गया है एवं कर देयता, निर्माण एवं आयात के बिन्दु पर 15% की दर से निर्धारित की गई है तथा धारा 6(8) के अनुसार MDI की वस्तु के क्रय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ देय नही होगा तथा नियमानुसार धारा (1)(XI) के अनुसार दावा कृत आई.टी.सी. का तीन गुणा अर्थात ₹18.48 लाख का अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-2, राज्य कर, देहरादून की नमूना लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि सर्वश्री ग्रीन गोल्ड टी फ़ार्मा, देहरादून, टिन: 05005990551, द्वारा (कर निर्धारण वर्ष 2015-16) प्रांत के अंदर से सर्व श्री हबीब टिंबर, जसपुर, उत्तराखंड से ₹ 45,60,398/- की वुड यूकेलिप्टस की खरीद की गई थी जिस पर 13.5% की दर से ₹ 6,15,538/- आईटीसी क्लैम किया गया था।

चूंकि उपरोक्त वस्तु अनुसूची III से आच्छादित है, इसलिए उपरोक्त वस्तु पर आईटीसी देय नहीं है। अतः ₹ 6,15,538/- का आई टी सी रिवर्स करते हुए राजकोष में जमा कराये जाने योग्य है।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि व्यापारी द्वारा 13.5 प्रति की दर से की गई खरीद टिंबर की न होकर वुड प्रॉडक्ट की है, जो कि पैकिंग मटीरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यापारी द्वारा प्रांत अंदर से एवं प्रांत बाहर से वूडन यूकेलिप्टस/वुड यूकेलिप्टस फंटी चिरान आदि का आयात किया गया है जो कि इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गए Form XVIII(D) से स्पष्ट है। पत्रावली से स्पष्ट है कि व्यापारी द्वारा वूडन यूकेलिप्टस/टिंबर की खरीद कर उक्त की विभिन्न साइज में कटिंग करके उसकी पैकिंग मटिरियल के रूप में बिक्री की जाती है उपरोक्त के क्रम में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी प्रांतीय कर निर्धारण में टिंबर/लकड़ी, फंटी की बिक्री (आयातित) को उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 कि अनुसूची III (टिंबर एवं वुड) से आच्छादित मानते हुए 15 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया है।

अतः आईटीसी के रिवर्स न किए जाने से ₹6.16 लाख तथा अर्थदण्ड ₹18.48 लाख का प्रकरण शासन एवं उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 (ब)</u>

प्रस्तर - 1 : ` 5.32 लाख के कर के अनारोपण के कारण अधिक रिफ़ंड स्वीकृत किया जाना।

उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) (ख) (i) (ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर देयता दिनांक 28.05.2012 से 13.5% एवं दिनांक 04.10.2016 से 14.5% की दर से निर्धारित की गई है। उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 3 की उपधारा 1 के अन्तर्गत किसी व्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किये गये प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधो के अन्तर्गत कर आरोपित किया जायेगा।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-2, राज्य कर, देहरादून के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान व्यापारी **सर्वश्री सी एंड सी कन्स्ट्रकशन लिमिटेड, देहरादून (टिन: 05013868697)** की वर्ष 2015-16 की कर निर्धारण पत्रावली जांच में पाया गया कि उपरोक्त व्यापारी सिविल संविदाकार है। व्यापारी को संगत वर्ष 2015-16 में संविदा के अंतर्गत ` 10,55,94,467/- का सकल भुगतान प्राप्त हुआ है जिसके सापेक्ष ` 21,11,895/- की टी0डी0एस0 की कटौती की गई है। कुल प्राप्त भुगतान ` **10,55,94,467** में से **उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर नियमावली के नियम 14** के अंतर्गत घटाए जाने योग्य समस्त धनराशियों `**7,56,83,080** (प्रांतीय खरीद- `44678299, लेबर एक्सपेनसेस - ` 24177292, फेब्रिकेसन एक्सपेनसेस - ` 890820, लैब एक्सपेन्स - ` 188415, लेबर सैस - ` 1055945 एवं साइट एक्सपेनसेस - ` 4692309) को घटाए जाने के उपारान्त ` 2,99,11,387/- पर कर आरोपित किया जाना चाहिए था जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मात्र ` 2,02,95,398/- पर कुल ` 11,22,732/- का कर आरोपित किया गया था।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि व्यापारी द्वारा कुल आयातित खरीद ` 2,99,91,639/- की गई है, जिसमें से ` 1,67,23,817/- की खरीद संविदा में अंतरण योग्य वस्तुओं की गयी है, जिस पर लाभांश जोड़ते हुए ` 2,02,95,378/- की राशि पर कर देयता निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त ` 59,39,612.00 की खरीद मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स की एवं ` 73,28,210.00 का आयात शटरिंग मटिरियल का किया गया है, जिस अंतरण संविदा कार्यों में नहीं किया गया है, जिस पर व्यापारी की कोई करदेयता नहीं बनती है। अतः, आपत्ति निक्षेप योग्य है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर नियमावली के नियम 14 के अनुसार संकर्म संविदा के निष्पादन में अंतर्ग्रस्त माल के आवर्त का अवधारण किया जाता है। उक्त नियम के अनुसार, संविदाकार को प्राप्त कुल भुगतान ` **10,55,94,467** में से घटाए जाने योग्य समस्त धनराशियों यथा - प्रांतीय खरीद - ` 44678299, लेबर एक्सपेनसेस - ` 24177292, फेब्रिकेसन एक्सपेनसेस - ` 890820, लैब एक्सपेन्स - ` 188415, लेबर सैस - ` 1055945 एवं साइट एक्सपेनसेस - ` 4692309 का योग ` **7,56,83,080** होता है। इस राशि को घटाए जाने के उपारान्त ` 2,99,11,387/- पर कर आरोपित किया जाना चाहिए था जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मात्र ` 2,02,95,398/- पर कुल ` 11,22,732/- का कर आरोपित किया गया था। अतः, अंतरीय राशि ` 96,15,989/- (2,99,11,387 - 2,02,95,398) पर कर आरोपित किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त व्यापारी के संबंध में पारित कर निर्धारण आदेश के अनुसार कर योग्य कुल राशि ` 2,02,95,398/- मे 5% की दर से ` 19025245/- पर एवं 13.5% की दर से ` 1270154/- पर कर आरोपित किया गया है। इस प्रकार कुल कर योग्य माल मे, 5% एवं 13.5% की दर से कर योग्य माल के मूल्य का प्रतिशत क्रमशः 93.75 एवं 6.25 है। अतः, अंतरीय राशि ` 96,15,989/- में, उपरोक्त प्रतिशतता के दृष्टिगत, 5% एवं 13.5% की दर से कर योग्य माल का मूल्य क्रमशः, ` 90,14,900/- एवं ` 6,00,999/- होना अपेक्षित है।

अतः ` 90,14,900/- पर 5% की दर से ` 450749/- एवं ` 6,00,999/- पर 13.5% की दर से ` 81,135/- अर्थात कुल ` 5,31,884/- का कर आरोपणीय था जो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं किया गया। उक्त कर के अनारोपण के कारण व्यापारी सर्वश्री सी एंड सी कन्स्ट्रकशन लिमिटेड को कर निर्धारण वर्ष 2015-16 में ` 9,89,163/- का रिफ़ंड स्वीकृत किया गया था जबकि व्यापारी को ` 4,57,279/- (9,89,163 - 5,31,884) का रिफ़ंड स्वीकृत किया जाना चाहिए था।

अतः ` 5.32 लाख के कर के अनारोपण के कारण अधिक रिफ़ंड स्वीकृत किए जाने का प्रकरण शासन एवं उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 (ब)</u>

प्रस्तर - 2 : कर का अनारोपण ` 8.02 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 3 की उपधारा 1 के अन्तर्गत किसी व्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किये गये प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधो के अन्तर्गत कर आरोपित किया जायेगा। उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) (ख) (i) (ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर देयता दिनांक 28.05.2012 से 13.5% एवं दिनांक 04.10.2016 से 14.5% की दर से निर्धारित की गई है।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-2, राज्य कर, देहरादून के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान व्यापारी **सर्वश्री सी एंड सी कन्स्ट्रकशन लिमिटेड, देहरादून (टिन: 05013868697)** की वर्ष 2015-16 की कर निर्धारण पत्रावली की जांच में पाया गया कि उपरोक्त व्यापारी द्वारा `1**,32,67,822/-** (`**59,39,612/-** की **spare parts** एवं `73**,28,210/-** की **shuttering material)** की निष्प्रयोज्य वस्तुओं की खरीद की गई थी एवं उक्त वस्तुओं पर कोई भी कर आरोपित नहीं किया गया था। Shuttering material को consumables मानते हुए इसकी ` 73,38,210/- की खरीद एवं उपभोग पर कोई कर आरोपणीय न होना स्वीकार किया जा सकता है परंतु, मशीनरी एवं स्पेयर की उक्त ` **59,39,612/-** की खरीद पर कर आरोपित किया जाना अपेक्षित था।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि उक्त वस्तुओं (मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स एवं shuttering मटिरियल) का अंतरण संविदा कार्यों में नहीं किया गया है, जिस पर व्यापारी की किसी भी प्रकार की कर देयता नहीं बनती है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मशीनरी एवं स्पेयर पर कर मुक्ति का दावा तभी किया जा सकता है जब इसे संगत वर्ष की बैलेन्स शीट में asset (current asset अथवा non-current asset) में वृद्धि के रूप में दर्शाया जाये। मशीनरी एवं स्पेयर का निर्माण के दौरान consume होते हुए कर आरोपणीय न होना भी उसी परिस्थिति में मान्य है जब इसे व्यापारी द्वारा profit & Loss Account में खर्चे के रूप में अंकित किया गया हो। तथापि, इकाई द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना (**All India Combined Balance Sheet)** से यह प्रमाणित नहीं होता है कि मशीनरी एवं स्पेयर की उक्त खरीद को बैलेन्स शीट अथवा profit & Loss Account में नियमनुसार लेखांकन किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेखनीय है कि यदि संगत वर्ष 2015-16 में क्रय किए गए मशीनरी एवं स्पेयर का

निर्माण के दौरान प्रयोग किया गया होता तो पुरानी मशीनरी/स्पेयर की स्क्रैप के रूप में व्यापार खाते में बिक्री अवश्य प्रदर्शित होती जिस पर नियमानुसार कर आरोपित किया जाता।

अतः ` **59,39,612/-** की मशीनरी एवं **spare parts** की उक्त खरीद पर बिक्री के अनुक्रम में 13.5% की दर से ` **8,01,848/-** का कर मय ब्याज आरोपणीय है।

अतः कर के अनारोपण के कारण ` **8,01,848/-** की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 (ब)</u>

प्रस्तर - 3 : कर न्यूनारोपण ` 0.45 लाख।

उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) (ख) (i) (ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर देयता दिनांक 28.05.2012 से 13.5% एवं दिनांक 04.10.2016 से 14.5% की दर से निर्धारित की गई है।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण),- 2, राज्य कर, देहरादून के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री **जिज्ञासा एंटरप्राइजेज़, देहरादून** (टिन: 05014407144) की वर्ष 2015-16 की कर निर्धारण पत्रावली में केमिकल की ` 5,27,065**/-** की बिक्री पर 5% की दर से ` 26,353/- की कर देयता निर्धारित की गई है जबकि केमिकल के उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की किसी भी अनूसूची में शामिल न होने के कारण**,** इसकी बिक्री पर न्यूनतम 13.5% की दर से कर आरोपित किया जाना चाहिए था।

अतः ` 5,27,065**/-** की केमिकल की बिक्री पर अंतरीय दर 8.5% (13.5 - 5) से ` 44,800**/-** का अतिरिक्त कर आरोपित किया जाना अपेक्षित है एवं स्वीकृत कर होने के कारण इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि <u>जांचोपरांत आवश्यक कार्यवाही करते हुए संप्रेक्षा दल को अतिशीघ्र अवगत करा दिया जाएगा।</u>

अतः, कर के न्यूनारोपण से ` 44,800/- की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-III 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-III 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT-41/2008-09	01,02,03	01,03	-
CT-29/2009-10	01	01	-
CT-04/2010-11	-	01,03	-
CT-19/2011-12	01	01,02,03,04,07,9	-
CT-01/2012-13	01,02,05,06	01	-
CT-04/2013-14	-	01	-
CT-23/2014-15	-01	01,02,03,04,05	-
CT-33/2015-16	-	02,03,04	-
CT-33/2016-17	-	01,02,03,04,05,06	-
CT-82/2017-18	-	01,02,03	-
CT-44/2019-20	-	01,02,03	-

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) - 2 राज्य कर, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री प्रमोद जोशी	उपायुक्त

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV